निर्णय अज अदालत बृजेश कुमार, आर.ए.एस.
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

मुकदमा नं0:– 114

सन्:–2023

1. श्रवण कुमार पुत्र श्री चन्दगीराम आयु वयस्क, जाति जाट निवासी खेमू की ढाणी, तहसील चिडाया, जिला (राज0)।
2. शीशराम पुत्र चन्द्रगीराम आयु वयस्क, जाति जाट निवासी खेमू की ढाणी, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
3. रामचन्द्र पुत्र चन्दगीराम आयु वयस्क, जाति जाट निवासी खेमू की ढाणी, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।

————————वादीगण

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र दुलीचन्द आयु वयस्क, जाति जाट निवासी खेमू की ढाणी, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।
2. प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अरडावता.तहसील चिड़ावा,जिला झुंझनू(राज)।
3. प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा,जिला झुंझुनूँ (राज0)।
4. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार चिडावा, तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू (राज0)।

————————————प्रतिवादीगण

पीठासीन अधिकारी :– बृजेश कुमार आर0ए0एस

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. श्री अनिल कुमार मान एडवोकेट वादीगण
2. श्री रामवीर सिहं एडवोकेट प्रतिवादीगण सख्या 1

वाद बाबत् रिकॉर्ड दुरूस्ती व नक्शा दुरूस्ती

निर्णय दिनांकः–29.01.2024

वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खेमु की ढ़ाणी स्थित भूमि खसरा नंबर 108 रकबा 1.30 हैक्टेयर में से वादी संख्या 1 ने जरिए विक्रय पत्र दिनांक 23.07.2013 को 0.42 हैक्टेयर भूमि खसरा नंबर 108 की पश्चिमी दिशा में क्रय की थी एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज हुआ था। वादी संख्या 1 ने उक्त 0.42 हैक्टेयर भूमि क्रय करने के बाद स्वयं तथा अपने भाई विक्रय संख्या 2 व 3 के साथ क्रयशुदा 0.42 हैक्टेयर भूमि जो कि खसरा नंबर 108 के पश्चिमी दिशा में है का बहिस्सा बराबर 1/3, 1/3, 1/3 विभाजन कर मौके पर काबिज हो गए एवं आज दिनांक को भी खसरा नंबर 108 की पश्चिमी दिशा में ही काबिज है, परन्तु सहवन

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा

से राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की भुमियां खसरा नंबर 108 के नक्शे में पूर्वी दिशा में दर्शा रखी है। जिसका नक्शा दुरस्त किया जाकर वादीगण की भूमि खसरा नंबर 108 के पश्चिमी दिशा में दर्ज की जावे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस दुरूस्ती से इंकार करने के कारण वाद कारण उत्पन्न होकर वाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में पेश हुआ तथा अनुतोष चाहा गया कि वाद डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की पारित की जावे कि तहसील चिड़ावा के ग्राम खेमु की ढ़ाणी में भूमि खसरा नंबर 108 रकबा 1.30 हैक्टेयर के नक्शे को दुरस्त किया जाकर विक्रय पत्र अनुसार पश्चिमी दिशा में वादीगण का हिस्सा अंकित किया जावे। वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्रड किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 2,3 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 मय अभिभाषक उपस्थित व आपसी सहमति से वाद डिक्री करने हेतु सहमति दी। वादी संख्या 1 ने बतौर साक्ष्य शपथ–पत्र PW–1 पेश किया तथा हाल नक्शा प्रदर्श–1 हाल जमाबंदी प्रदर्श–2,3,4,5 व विक्रय पत्र दिनांक 23.07.2013 प्रदर्श–6 प्रस्तुत किए गए। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वाद पत्र वादी, विक्रय पत्र, अन्य दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया, जिससे जाहिर है कि वादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 1 से 0.42 हैक्टेयर भूमि जरिए रजिस्ट्रड विक्रय पत्र दिनांक 23.07.2013 को क्रय की गई। तत्पश्चात वादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में दान–पत्र व तत्पश्चात आपसी सहमति विभाजन किया गया है। जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान इन्द्राजात हुए है। जिसके अनुसार खसरा संख्या हाल 108 जो गत खसरा 108 गत पश्चिम में दर्शित है की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 गत खसरा नंबर 108 के पूर्वी दिशा में खसरा नंबर 305/299, 306/299, 307/299 दर्शित है। जिनकी खातेदारी क्रमशः वादी संख्या 1,2 व 3 के नाम दर्ज है, जो कि मुताबिक विक्रय पत्र गलत दर्ज है। प्रकरण में संबंधित पक्षकारान ने आपसी सहमति जाहिर की है। अतः राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर) अधिनियम–1955 के नियम 19, आदेश 12 नियम 6 CPC के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में पक्षकारान के मध्य समझौता/राजीनामा के आधार पर वाद पत्र वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वाद पत्र वादी इस कदर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम खेमू की ढ़ाणी तहसील चिड़ावा के पुराने खसरा नंबर 108 रकबा 1.30 हैक्टेयर के राजस्व नक्शे में हाल खसरा नंबर 305/299, 306/299, 307/299 को क्रमशः पश्चिमी दिशा में मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 23.07.2013 दुरूरत किया जावे। तहसीलदार चिड़ावा को अमल दरामद हेतु आदेशित किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा

उप खण्ड अधिकारी
चिडावा जिला झुन्झुनू (राज.)